झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1161 वर्ष 2017

राधा गोविंद विधि महाविद्यालय, रामगढ़ ने जिनका प्रतिनिधित्व उनके सचिव श्री बैजनाथ साह ने किया ....

.. याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य द्वारा सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से

2. निदेशक, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, रांची

3. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, अपने कुलसचिव, हजारीबाग के माध्यम से

4. परीक्षा नियंत्रक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– सुश्री ऋचा संचिता

03 / 28.02.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा तीन वर्षीय लॉ कोर्स एल0एल0बी0 (2016–19) और पाँच वर्षीय लॉ बी0ए0 एल0एल0बी0 (2016–21) की संबद्धता के लिए अनुशंसा की

स्वीकृति माँगी है जहाँ यह मामला 26.04.2016 (अनुलग्नक–9), 11.11.2016 (अनुलग्नक–12) एवं 09.02.2017 (अनुलग्नक–16) को विश्वविद्यालय द्वारा की गई सिफाारिश के बाद पड़ा है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.08.2016 के पत्र (अनुलग्नक–10) के द्वारा जिसमें निर्धारित कुछ शर्तों के साथ भारतीय विधिज्ञ परिषद् से संबद्धता का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। याचिकाकर्ता–कॉलेज ने उपरोक्त दो पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश दिया है और अकादमिक कैलेंडर में कथित तौर पर पाठ्यक्रमों को पढ़ाया। ''पहले सेमेस्टर की परीक्षा 01 मार्च, 2017 को आयोजित की जाएगी जिसके संबंध में विश्वविद्यालय ने पंजीकरण स्वीकार नहीं किया है और परीक्षा फॉर्म उच्च और तकनीकी शिक्षा के निदेशालय से संबद्धता के लिए अनुमोदन का इंतजार कर रहे हैं।

राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिचा संचिता ने निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा दिनांक 28.02.2017 को जारी ज्ञापन संख्या 473 में अंतर्विष्ट एक निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें भारतीय विधिज्ञ परिषद् के निर्णय और विश्वविद्यालय की सिफारिश एवं उसमें निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए तीन वर्ष के विधि पाठ्यक्रम एल0एल0बी0 (2016–19) और पाँच वर्ष के विधि पाठ्यक्रम बी0ए0 एल0एल0बी0 (2016–21) के लिए नई संबद्धता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय को निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। तथापि, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि संस्थान द्वाराा शर्तों के अनुपालन के लिए कोई समय–सारणी निर्धारित की गई है। इसलिए निदेशालय एक समय–सीमा के भीतर निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज को विशिष्ट निर्देश जारी करेगा। विश्वविद्यालय निरीक्षण के बाद शर्तों के अनुपालन से

संबंधित एक रिपोर्ट भी निदेशालय को प्रस्तुत करेगा, ताकि संबद्धता से संबंधित मुद्दे को अस्थायी आधार पर वार्षिक रूप से बढ़ाने के बजाय किसी न किसी तरह से अंतिम रूप दिया जा सके। यह उन छात्रों के हित में भी होना चाहिए जो पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं और संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं और संस्था के साथ–साथ छात्रों के मन में अनिश्चितता से बचने के लिए भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि निदेशक द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक अनुपालन किया जाएगा। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि संस्थान के पात्र छात्रों को आवश्यक शर्तो और शुल्क आदि की पूर्ति के बाद 01.03.2017 से होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

इसमें उपर दर्ज किए गए सुस्पष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। विश्वविद्यालय और संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आधार पर कार्य करेंगे कि पात्र छात्र कल से निर्धारित परीक्षा दे सकें।.

लंबित आई0ए0 का निपटारा कर दिया गया है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)